

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/45/2025

श्री भगवान दास पुत्र श्री नन्दलाल के0सी0शर्मा की गली, अनाहगेट वजरिया  
भरतपुर मो.न. 9079472677

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वयाना

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.09.2025


अपीलार्थी श्री भगवान दास पुत्र श्री नन्दलाल के0सी0शर्मा की गली, अनाहगेट वजरिया भरतपुर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वयाना से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/25/737 दिनांक 22.08.2025 द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराये जाने वावत रिपोर्ट तलव की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वयाना से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार वयाना से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वयाना को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत साध्याकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार


.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

अपील / आरटीआई / 45 / 2025  
भगवान दास बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना

उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर